न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 747 | दिनांक 02/04/2024

प्रार्थी:-

1.दलाराम पुत्र टीकमाराम, जाति जाट निवासी लखवारा, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.बांकाराम पुत्र आईदानराम 2.मेतों पत्नि आईदानराम, जाति सुथार, निवासी लखवारा 3.पूनमाराम पुत्र किरताराम 4.गंगाराम पुत्र डालूराम फौत के का.मु. :– 4/1.हेराजराम पुत्र गंगाराम 5.शोभाराम 6. आदूराम पि.नवला 7.जोगा 8.दीपाराम 9.शेराराम पि.चैनाराम 10.बाबू 11.नारणा 12.चनणा 13.गिरधारी पि.सोना 14.पेमाराम पुत्र तिलाराम, जाति जाट निवासी लखवारा, तहसील चौहटन 15.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 163/2022 | दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र आंटिया के मौजा लखवारा के खेत खसरा सं. **337/235 रकबा 04.1278 हैक्टेयर,** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 748 to 751 | दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण दलाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण बांकाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौह[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:44:35 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन